न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 119/2021

प्रार्थी		बनाम	अप्रार्थीगण
1	जड़ावकंवर उर्फ जसोदा देवी पत्नी राकेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बासना हाल निवासी सरकारी कॉलोनी, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।	1	जयनारायण पुत्र बद्रीनारायण
		2	रामेश्वर पुत्र बद्रीनारायण जातिगण ब्राह्मण निवासीगण बासना तहसील सोजत जिला पाली राज0।
		3	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:–

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 22/3/2022

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासना पटवार हल्का बासना, तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 138 ख0नं0 1004 रकबा 0.9900 है0 किस्म बा0अ0 प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आयी हुई है, जिस पर प्रार्थीया का ही शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, प्रार्थीया की उक्त भूमि के पड़ोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1008 आयी हुई है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता रूकमादेवी के नाम इन्द्राज सुदा है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उत्तराधिकारी/वारिसान अप्रार्थीगण ही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व रामेश्वर पुत्र बद्रीनारायण की नियत पूर्व से बद्व थी, व येन केन प्रकरेण प्रार्थीया की खातेदारी कृषि जोत की भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर उतारू रहते है, इसी नियत से पूर्व में भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर लगी माठ को तोड़कर प्रार्थीया को नुकसान कारित कर मौके पर जबरदस्ती सीमेंट के पोल व तारबंदी करने पर उतारू हो गये, तथा जिस पर प्रार्थीया व उसके पति ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीया की भूमि पर माठ को जबरदस्ती तोड़ने, तारबंदी व सीमेंट पोल नहीं लगाने हेतु दिनांक 23.6.2016 को हाथा जोड़ी की, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए, और एलानियां कहने लगे कि हम तो तुम्हारी खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करके रहेंगे, प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर सीमाओं, माठ व काश्त को लेकर आये दिन भारी विवाद उत्पन्न होते रहते है तथा हर समय उक्त भूमि पर माठ एवं सीमाओं को लेकर भारी विवाद होने की संभावना बनी रहती है, पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर उतारू होने पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो वाद विचाराधीन है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीया की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व में भी उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य धोर एवं काश्त को लेकर विवाद होने पर संबंधित राजस्व पटवारी आये, लेकिन मौके पर विवाद होने से उक्त भूमि का वैध सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी नहीं हो सकी।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

दिनांक 08.08.2021 को प्रार्थीया व उसके परिवारजन मौके पर अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गये तो पुनः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया की भूमि की सीमाओं में आकर अनावश्यक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलांदाजी करने लगे तथा मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर नाजायज हस्तक्षेप कर कब्जा करने की एलानिया धमकियां देने लगे, जिस पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ऐसा कृत्य नहीं करने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मानने को तैयार नहीं हुए। इसलिए प्रार्थीया व अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि का मौके पर सीमाज्ञान/मुटाम लगवाकर पत्थरगढी की जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में उक्त संबंध में कार्यवाही हेतु गयी, लेकिन वर्तमान में उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने का कहने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर सरहद मौजा ग्राम बासना के खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.9900 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1008 तक की भूमि का वैध सीमांकन/मुटाम किया जाकर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब दिनांक 21.02.2022 को पेश किया कि पैरा 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बासना के खसरा नंबर 1004 रकबा 0.9900 हैक्टर कृषि भूमि अपनी खातेदारी कृषि भूमि होना बताया गया है, जो प्रार्थीया अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थीया ने खसरा संख्या 1004 रकबा 0.9900 हैक्टर भूमि पर काश्त करना लिख है जो स्वयं साबित करे। खसरा संख्या 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1008 कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनकी माता रूकमादेवी की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई अवश्य स्थित है। यह सही है कि रूकमादेवी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीया का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व रामेश्वर पुत्र बद्रीनारायण की नियतबद्ध रही हो। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई नाजायज कब्जा प्रार्थीया की भूमि पर नहीं किया है, जबकि प्रार्थीया अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थीया ने दिनांक 23.06.2016 को अप्रार्थीगण द्वारा पोल जगाने व तारबंदी करने के कथन अंकित किये है तथा उस समय हाथाजोड़ी करने के अंकित किये है। जबकि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईस पटवारी हल्का से करवाने के करवाने के बाद ही अपनी खातेदारी कृषि भूमि की माठो पर पोल लगाकर तारबन्दी करवायी गयी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई धमकियां कब्जा करने बाबत नहीं दी है। अप्रार्थीगण ने सीमाओं को लेकर कभी भी प्रार्थीया के साथ विवाद नहीं किया हैं। जबकि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ वाद विवाद करती रहती है। प्रार्थीया ने पूर्व में भी गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई नाजायज कब्जा नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाद इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई मौके पर सीमाओं को लेकर वाद विवाद नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 2 गांव बासना में दिनांक 08.08.2021 को उपस्थित ही नही था। ऐसी स्थिति में धमकियां देने के कथन गलत है। अप्रार्थीगण की नियत कतई अतिक्रमण करने की नही रही है। अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि की पैमाईस करवाने के बाद ही तारबंदी की गई है। प्रार्थीया ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की सरहद मौजा बासना तहसील–सोजत में प्रार्थीया की स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 1004 रकबा 0.9900 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1008 भूमि का वैध सीमांकन/मुटाम किया जाकर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु आदेश पारित किये जावे। जिसके जबाब बहस में अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे खारिज किया जावें

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा बासना तहसील सोजत में प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1004 रकबा 0.9900 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1008 भूमि स्थित है। जिससे उभय पक्षों की कृषि भूमि का उभय पक्षों/पक्षकारान को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बासना पटवार हल्का बासना तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.9900 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1008 कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर माफिक राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस अनुसार उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 22/3/2022 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत